भारतसरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहनमहानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ाइल सं.: 23-विविध/6/2021-क्रू-नौमनि **दिनांक:25.01.2021**

नौमनि आदेश संख्या 2021 का 05

दिनांक 21.11.2020 के नौमनि आदेश संख्या 39/2020 का संशोधन

विषय: भारतीय पत्तनों में विदेशी समुद्रकर्मियों के साइन-ऑन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया/प्रोटोकॉल-संबंधी.

1. नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 21.11.2020 के नौमनि आदेश संख्या 39/2020(फ़ा.सं.23-71011/1/2020-क्रू-नौमनि) के माध्यम से भारतीय पत्तनों में विदेशी समुद्रकर्मियों के साइन-ऑन हेतु अनुदेश एवं एसओपी जारी किया था.
2. जबकि, विश्व भर के विविध पत्तनों में क्रू बदली पर निरंतर प्रतिबंधों के कारण भारतीय पत्तनों में विदेशी क्रू के साइन-ऑन और साइन-ऑफ को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया गया है. नौमनि आदेश संख्या 39/2020 का अनुच्छेद 6 निम्न रूप से संशोधित कर पढ़ा जाए:-
   "6 विदेशी क्रू के साइन-ऑफ के साथ-साथ विदेशी क्रू का साइन-ऑन की सुविधा भी भारतीय पत्तनों में प्रदान किया जाएगा, यदि-
   (क) संबंधी एफआरआरओ से पूर्व निकासी प्राप्त होने के बाद ही बिना किसी प्रतिबंध के बाहरी लंगर पर विदेशी क्रू के साइन-ऑन/साइन-ऑफ की अनुमति दी जाएगी.
   (ख) यह उस अवधि के दौरान सिर्फ एक अस्थायी उपाय रहेगा जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण निर्दिष्ट प्रोटोकॉल लागू हुए हैं. कोविड-19 प्रोटोकॉल को हटाने के पश्चात बाहरी लंगर पर हो रहे साइन-ऑन/साइन-ऑफ प्रक्रिया हेतु वीसा नियमावली 2019 के अनुच्छेद 23.2 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट प्रावधानों को वापस लाया जाएगा."
3. इसे गृह मंत्रालय के सहमति के साथ दिनांक 14.01.2021 के उनके पत्र संख्या 25022/17/2017-Imm(भाग) के माध्यम से जारी किया जाता है.

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. नौमनि वैबसाइट द्वारा सभी हितधारक
2. हिन्दी अनुभाग
3. कम्प्युटर अनुभाग, नौमनि मुंबई, नौमनि वैबसाइट में लगाने हेतु निवेदन के साथ